UPBS010045062022

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,जनपद बस्ती ।

पीठासीन अधिकारी–जितेन्द्र गुप्ता , एच०जे०एस० – UP02665

फौजदारी निगरानी सं०–118/2022

राजेन्द्र प्रसाद ––––––––बनाम––––––––––सरकार उ०प्र०

दिनाँक 28–04–2026

पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। निगरानीकर्ता को पूर्व में भी कई बार बहस हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा चुका है, जिसके बावजूद भी निगरानीकर्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं आए । अतः गुण–दोष के आधार पर प्रकरण निस्तारण किया जा रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 19,बस्ती द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण वाद सं० 628/2022 राजेन्द्र प्रसाद बनाम उ०प्र० राज्य अंतर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० थाना गौर जनपद बस्ती में पारित आदेश दिनाँकित 24.08.2022 से क्षुब्ध होकर हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गयी। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थी/ निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० को परिवाद के रुप में पंजीकृत करने का आदेश पारित किया था ।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के आधार के रुप में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश दिनाँक 24.08.2022 पारित करने में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है,जबकि घटना क्रास केस है तथा उसमें अभियुक्त संजय के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं० 138/2022 अंतर्गत धारा 323, 504,506 भा०दं०सं० के रुप में पंजीकृत है। निगरानीकर्ता के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने की याचना की गयी है।

विपक्षी सं०–1 उ०प्र० राज्य के रुप में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधिपूर्ण,शुद्ध व औचित्य पूर्ण है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपने मस्तिष्क का सम्यक प्रयोग किया गया है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (1) ए०सी०सी० 739,इलाहाबाद -खण्ड पीठ** के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० परिवाद में पंजीकृत होने का आदेश पारित किया गया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० स्वीकार कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (1) ए०सी०सी० 739,इलाहाबाद -खण्ड पीठ के दिशा निर्देशो के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० को परिवाद के रुप में संस्थित कर सकता है । अतः इन परिस्थितयों में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिपूर्ण शुद्ध तथा औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक निगरानी संख्या 118/2022 **<u>निरस्त</u>** की जाती है। प्रकीर्ण वाद की पत्रावली संबंधित को प्रेषित हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो ।

दिनाँक 28.04.2026

(जितेन्द्र गुप्ता)
द्वितीय अपर जनपद न्यायाधीश
जनपद बस्ती।
J.O. Code–U.P.2665